

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 875/ 2019

सतपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 14 बीएन डब्ल्यू धर्मसिंहवाला
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

- 1 महेन्द्र सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी 14 बी एन डब्ल्यू धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 मनप्रीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 14 बी एन डब्ल्यू धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 किरणदीप कोर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 14 बी एन डब्ल्यू धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 श्री विनोद जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
- 3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट
निर्णय

दिनांक :- 19.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 9 बी एन डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 74/65 मु.न. 15 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 हे. नहरी मय खाला, मु.न. 16 कि.न. 9 ता 12, 18 ता 23 में 2.530 हे. नहरी, मु.न. 21 कि.न. 1 ता 3 सालम, कि.न. 8/2 में 0.042 है., कि.न 9/2 में 0.042 है., कि.न. 10/2 में 0.043 है. कुल 0.886 है. नहरी कुल 7.211 है. नहरी मय खाला आराजी में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.802 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 14 बी एन डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 83/75 प.न. 2/133 मु.न. 24 कि.न. 24, 25 में 0.506 हे. नहरी मय गै.मु., प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 19 ता 25 में 1.771 है. नहरी, कुल खाता 2.277 हे. नहरी मय गै.मु. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी वादी के पिता को अपने पिता से प्राप्त हुयी है जो कि विरासतन भूमि है व सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक हिस्सा बनता है, जो कि वादाधीन आराजी का वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चुका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार वादी एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार वादी एव प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से आराजी प्राप्त हुयी है वादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 9 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 74/65 की 1.802 है. आराजी प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी संख्या 1 को चक 14 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 83/75 प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 21 में 0.126 है., कि.न. 22, 23, 24, 25 में 1.

(Signature)

012 है. कुल 1.138 हे. आराजी प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी सं. 2 को चक 14 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 83/75 प.न. 2/133 मु.न. 24 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी मय गे. मु. रास्ता, प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 19, 20 में 0.506 है. नहरी, कि.न. 21 में 0.127 है. नहरी कुल 1.139 है. नहरी आराजी प्राप्त हुयी है। वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारानूसार वादी के हक हिस्सा में आयी आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने के कारण वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा की आराजी को मन लगाकर काशत कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा की आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि :-
चक 9 बी एन डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 74/65 मु.न. 15 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 हे. नहरी मय खाला, मु.न. 16 कि.न. 9 ता 12, 18 ता 23 में 2.530 हे. नहरी, मु.न. 21 कि.न. 1 ता 3 सालम, कि.न. 8/2 में 0.042 है., कि.न. 9/2 में 0.042 है., कि.न. 10/2 में 0.043 है. कुल 0.886 है. नहरी कुल 7.211 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.802 है. आराजी का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर

लिहाजा इकबाल दावा मय काउन्टर क्लैम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लैम निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:- (क) प्रतिवादी संख्या 1 को चक 14 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 83/75 प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 21 में 0.126 है., कि.न. 22, 23, 24, 25 में 1.012 है. कुल 1.138 हे. आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का खाता अलग कायम किया जावे। (ख) प्रतिवादी सं. 2 को चक 14 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 83/75 प.न. 2/133 मु.न. 24 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी मय गे. मु. रास्ता, प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 19, 20 में 0.506 है. नहरी, कि.न. 21 में 0.127 है. नहरी कुल 1.139 है. नहरी आराजी की खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे एव प्रतिवादी संख्या 2 का खाता अलग से कायम किया जावे।

जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की एव काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादाधीन आराजी पारिवारिक सम्पति है जो कि वादी व प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारानूसार आराजी को अपने अपने हक हिस्सानूसार काशत कर रहे है एव इसी अनूसार घोषणा की मांग कर रहे है, वादाधीन आराजी सहदायिकी सम्पति है एव उभयपक्ष ने एक दूसरे की कब्जा काशत को मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार स्वीकार किया है, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा काशत के सम्बन्ध में कोई विवाद


Eandh
उपखण्ड अधिकारी
सादलशहर

नहीं है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने दावा एवं प्रतिदावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है, वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) चक 9 बी एन डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 74/65 मु.न. 15 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 हे. नहरी मय खाला, मु.न. 16 कि.न. 9 ता 12, 18 ता 23 में 2.530 हे. नहरी, मु.न. 21 कि.न. 1 ता 3 सालम, कि.न. 8/2 में 0.042 हे., कि.न. 9/2 में 0.042 है., कि.न. 10/2 में 0.043 है. कुल 0.886 है. नहरी कुल 7.211 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.802 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। (2) प्रतिवादी संख्या 2 को चक 14 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 83/75 प.न. 2/133 मु.न. 24 कि.न. 24, 25 में 0.506 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता, प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 19, 20 में 0.506 है. नहरी, कि.न. 21 में 0.127 है. नहरी कुल 1.139 है. नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। (3) चक 14 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 83/75 प.न. 3/133 मु.न. 25 कि.न. 21 में 0.126 है., कि.न. 22, 23, 24, 25 में 1.012 है. कुल 1.138 है. आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.2.2000 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




हवाई सिंह यादव (ओ.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

